Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Supply Revision Case No.- 42 /2025]

Ranjit Kumar Das.....Appellant

Versus

The State of Bihar .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	21.10.2025	**आदेश** यह आपूर्ति पुनरीक्षण वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिट याचिका सं0-17543/2022 में दिनांक-27.3.2025 को पारित आदेश के आलोक में न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल के आपूर्ति अपील वाद सं0-4/2021 में दिनांक-06.5.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-10.10.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। पुनरीक्षणकर्त्ता का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर के स्तर से उनके विरूद्ध गलत मंशा से प्रेषित प्रतिकूल जांच प्रतिवेदन के आधार पर बिना आवश्यक जांच/पड़ताल के अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा उनकी PDS अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई। उनका कहना है कि स्टॉक पंजी/PDS Shop Records/पॉश मशीन की जांच किये बिना ही कतिपय व्यक्तियों के मौखिक शिकायत पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन में स्टॉक, वितरण रजिस्टर एवं पॉश मशीन का विवरण अंकित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उनके जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति पर निर्णय लेने से पूर्व प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन तथा लाभुकों द्वारा की गई शिकायत की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। उनका यह भी कहना है कि जिन तथाकथित लाभुकों के शिकायत पर अनुज्ञप्ति रद्द की गई थी। उनके द्वारा लिखित रूप से बयान दिया गया कि पुनरीक्षणकर्त्ता (PDS Dealer) से शिकायत नहीं है। जिसे उनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, वीरपुर को समर्पित किया गया। किन्तु इसे संज्ञान में लिये बिना ही Mechanical रूप से आदेश पारित कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि समाहर्त्ता, सुपौल के अपीलाधीन आदेश में हालांकि उनके आपत्ति को अंकित किया गया है। किन्तु आपत्ति की कोई विवेचना किये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया। जो विधिसम्मत नहीं है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। तथा अपीलाधीन आदेश में प्रमाणित आरोपों के सापेक्ष पुनरीक्षणकर्त्ता (PDS Dealer) के जन वितरण प्रणाली का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख/LCR में रक्षित कागजातों के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर के पत्रांक-67 दिनांक-29.4.2021 के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर के आदेश ज्ञापांक-620-2/आ0 दिनांक-15.5.2021 से Petitioner के PDS	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा

	21.10.2025	अनुज्ञप्ति सं0-29/2016 को रद्द किया गया। तथा समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0-4/2021 में निम्न न्यायालय के आदेश को संपुष्ट करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता के अपील आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा उठाये गए आपत्ति के बिन्दुओं के संदर्भ में निम्न न्यायालय (समाहर्त्ता, सुपौल) के अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि ''प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होगा कि बिना स्टॉक वितरण या अन्य आवश्यक कागजातों तथा पॉश मशीन की जांच किये मौखिक शिकायत पर उक्त जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तथा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर द्वारा भी इस बिन्दु पर तथ्यों व शिकायत की सच्चाई को अपने स्तर से बिना जांच किये उक्त आदेश पारित किया गया। यह महत्वपूर्ण है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी विक्रेता की दुकान का स्टॉक, वितरण रजिस्टर एवं पॉश मशीन का कोई भी विवरण दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध लगाया गया आरोप ग्रामीण राजनीति तथा ग्राम पंचायत की सरपंच तथा सरपंच के पति के इशारे पर दुर्भावनावश लगाया गया है। ग्राम कचहरी के सरपंच व सरपंच पति एवं अन्य प्रतिनिधियों द्वारा अपीलार्थी के उपर गलत ढंग से अपने समर्थकों को अनाज एवं तेल देने हेतु बराबर पत्र लिखकर दबाव डाला जाता रहा। इस नाजायज दबाव में नहीं आने तथा गलत काम को बढ़ावा नहीं देने के कारण वर्तमान मनगढ़ंत आरोप लगाया गया है। सरपंच व सरपंच के पति व अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न तिथियों को लिखे व दिये गये पत्रों की छायाप्रति इस अपील आवेदन के साथ संलग्न है, जिसे प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपने कारण पृच्छा में उल्लेखित किया था लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, वीरपुर तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, राघोपुर द्वारा जांच के क्रम में विचार नहीं किया गया।'' कागजातों के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि अपीलाधीन आदेश में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उठाये गए बिन्दुओं पर कोई Findings अंकित किये बिना ही अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, वीरपुर के आदेश को बरकरार रखने का आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत नहीं है। सुनवाई में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उठाये गए बिन्दुओं के संदर्भ में विपक्षी की ओर से Counter Facts/Counter Evidence प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। साथ ही अपीलाधीन आदेश में पुनरीक्षणकर्त्ता की ओर से उठाये गए बिन्दुओं पर Findings अंकित नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से संगत प्रावधानों तथा Dispute Adjudication के स्थापित मापदंडों को Overlook करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। अतः उपरोक्त Finding के आधार पर न्यायालय समाहर्त्ता, सुपौल द्वारा आपूर्ति अपील वाद संख्या-04/ 2021 में पारित आदेश दिनांक-06.5.2025 को निरस्त करते हुए पुनरीक्षणकर्त्ता (PDS Dealer) के अनुज्ञप्ति संख्या-29/2016 को Reinstate किया जाता है। इस आदेश की प्रति LCR के साथ समाहर्त्ता, सुपौल को भेजें। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, वीरपुर को अनुपालन हेतु भेजें। Rajesh K. 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित। Rajesh K. 21/10/2025. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	